परिपत्र

रा.आ.बैंक (नदि)/डीओएस/पर्य.परिपत्र सं. 2/2020-21
26 अक्टूबर, 2020

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

कोविड -19 हेतु अभियान – उपयुक्त व्यवहार

कोविड-19 महामारी की वजह से हम सबके समक्ष एक अभूतपूर्व एवं अप्रत्याशित संकट उत्पन्न हो गया है जिस पर सबको साथ कार्यवाई करने तथा सबके समर्थन की आवश्यकता है। जबकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय प्रभावी रूप से किए जा रहे हैं, ऐसे में इस महामारी से निपटने के लिए निवारक उपायों तथा प्रक्रियाओं की महत्ता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

2. भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए एक जागरूकता अभियान 'जन आंदोलन' प्रारंभ किया है। अभियान के तीन प्रमुख संदेश हैं: मास्क पहनना; शारीरिक दूरी का पालन करना; तथा हाथों को बार-बार धोना।

3. 'जन आन्दोलन' अभियान के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचने के लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विनियामक, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योग सहित विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी आवश्यक है।

4. तदनुसार, आवास वित्त कंपनियां जो उनकी आम जनमानस तक पहुंच के कारण, वित्त क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती हैं को एतदद्वारा यह सलाह दी जाती है कि संदेश को हर तरफ प्रसारित करें ताकि आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के जनमानस तक जानकारी पहुंचायी जा सके।

5. कोविड के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ लोगों को अधिक जिम्मेदार बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, व्यापक सुझाव देने हेतु निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है:

- सभी कार्यालयों / शाखाओं एवं सहयोगी संगठनों में संदेश/बैनर/बिलबोर्ड प्रदर्शित करना;
- प्रमुख स्थानों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि;
- संदेश दिखाने के लिए वेबसाइट/ऐप खोलने पर पॉप अप/फ्लैश संदेश;
- आम जनमानस हेतु एसएमएस अभियान जिसके अंतर्गत उन साइटों के लिंक दिए गए हो जिन पर कोविड व्यवहार से दिशानिर्देश प्रदर्शित किये गये हों;
- कोविड के चलते सुरक्षा संबंधी एहतियाती संदेश पंहुचाने वाली जागरूकता/सूचना संदेशों को पुन: प्रकाशित करना;
- आ.वि.कं. की सेवाएं लेते समय/आ.वि.कं. में आने के दौरान सावधान रहने तथा ढिलाई न बरतने के कारणों पर एक एनिमेटेड विडियो;
- सोशल मीडिया, मोबाइल नेटवर्क एवं व्हाट्सएप चैनलों के माध्यम से वीडियो का प्रसार;
- सही व्यवहार के बारे में विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित एवं निरंतर संचार;

- सोशल मीडिया पर शीर्ष अधिकारियों/प्रबंधन द्वारा संदेश।

6. इसके अतिरिक्त, सबके द्वारा लिया जाने वाला कोविड शपथपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त को किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है।

7. एकसमान संदेश के लिए, भारत सरकार से प्राप्त अभियान (हिंदी तथा अंग्रेजी) का क्रिएटिव संलग्न हैं। कृपया ध्यान दें कि उन राज्यों के लिए जहां आदर्श आचार संहिता परिचालनरत है, वैकल्पिक क्रिएटिव (माननीय पीएम की तस्वीर के बिना), इस पत्र के साथ संलग्न हैं, का उपयोग किया जाना है। यह भी सूचित किया जाता है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

8. हमारी ओर से एक केंद्रित प्रयास भारत के नागरिकों के बीच कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए अभियान एवं जागरूकता में सकारात्मक योगदान देना है।

उपर्युक्त के संबंध में शुरू की गई कार्रवाई को दिनांक 30 अक्टूबर, 2020 तक राष्ट्रीय आवास बैंक के पर्यवेक्षण विभाग को सूचित किया जाए।

भवदीय,

ह.

(विनीत सिंघल)
महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न: यथोपरि